

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110 002.

No. F.8-50/98 (CPP-I)

March, 2000

The Registrar,  
Vikram University,  
Ujjain (Orissa).

25 APR 2000

Sub:- List of Colleges prepared under section 2(f) and 12-B of the UGC Act, 1956-  
Inclusion of New College.


Sir,

I am directed to refer to letter No. 16/2000 dated 19<sup>th</sup> January, 2000 on the above subject received from the Principal, Lokmanya Tilak College of Education, Ujjain (M.P) and to say that the name of the following Colleges has been included in the above list under Non-Government Colleges teaching upto Bachelor's Degree:-

<u>Name of the College</u>	<u>Year of Estt.</u>	<u>Remarks</u>
Lokmanya Tilak College of Education, <u>Ujjain (M.P).</u> (Dr. (Mrs) Prem Chhabra )	1971	The College is eligible to receive Central assistance in terms of the Rules framed under Section 12-B of the UGC Act, 1956.


The Indemnity Bond and other documents in respect of the above College have been accepted by the Commission.

Yours faithfully,

  
( D.D. Mehta )  
Under Secretary

Copy forwarded to:-

1. The Principal, Lokmanya Tilak College of Education, Ujjain (M.P).
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Education, T-14 Section, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001.
3. The Joint Secretary, UGC Central Regional Office, Tawa Complex (Bittan Market) 2<sup>nd</sup> Floor, E 5 Arera Colony, Bhopal-462 016.
4. All Sections, UGC.
5. S.O. (FD-III Section) UGC, New Delhi.
6. D.T.P. Cell, UGC.
7. Guard file.

  
( C.P. Arora )  
Section Officer



समस्त पत्र-व्यवहार  
कुलसचिव को संबोधित किया  
जाय, किसी अन्य अधिकारी  
के नाम से नहीं। सम्बन्धित  
विषय पर यदि पूर्व में पत्र-  
व्यवहार हुआ हो तो उसके  
क्रमांक और दिनांक का  
अनिवार्यतः उल्लेख किया  
जाना चाहिए, अन्यथा कोई  
कार्यवाही नहीं की जावेगी।

क्रमांक-प्रशा:सम्ब: 90:

दिनांक : २०१ एवं २११  
प्रेष : विश्वविद्यालय

## विक्रम विश्वविद्यालय

उज्जैन

प्रेषक :

दिनांक १९७

कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय।

प्रति :

सचिव,  
मध्य उच्च शिक्षा अनुदान आयोग,  
ई-२/८४, अरेरा कालोनी, भोपाल

विषय :- लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन को बीएएच  
में स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का ज्ञा.

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपके पत्र क्रमांक: अनुअधि-२/सम्ब/१५/१११/०१/  
७६५०० दि: २५-८-१९८९ के संदर्भ में निवेदन है कि महाविद्यालय से स्थायी  
सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र तथा उस पर निर्णय निम्नानुसार हुआ है-

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| १११ महाविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता<br>प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र | दिनांक २६-११-१९८८        |
| १२१ महाविद्यालय का निरीक्षण  | दिनांक ३ व १९ जनवरी १९८९ |
| १३१ विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में<br>निरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकार | दिनांक २१ फरवरी १९८९     |
| १४१ कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदन                                    | दिनांक २५ फरवरी १९८९     |

ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही करने में कोई  
विलंब नहीं हुआ है।

महाविद्यालय को आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के अनुसार सूचित  
किया जा रहा है।

क्रमांक: प्रशा: सम्ब: ९०: १९२२५

उपकुलसचिव, प्रशासन

दिनांक: २३-१-९०

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, शांती निकाय, लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

May please see

११/१५/७९  
०५-२-७९

उपकुलसचिव, प्रशासन

१. Dr V.D. Munglee

२. Dr N.B. Dew

३. Dr N.N. Kher

Dr K.M. Bakshi



2022

ANX 6

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को संबोधित किया जाय, किसी अन्य अधिकारी के नाम से नहीं। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र-व्यवहार हुआ हो तो उसके क्रमांक और दिनांक का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

क्रमांक प्रशासन:संबन्धन: 90: हर { भाष : 3219, 5647, 5501, 5648  
प्रेष : विश्वविद्यालय

### विक्रम विश्वविद्यालय

उज्जैन

प्रेषक :

कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय।

दिनांक

30.3.20

प्रति :

प्राचार्य,  
लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय,  
उज्जैन

विषय :-

लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन को बी०ए०डि० में स्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि कार्य-परिषद की बैठक दिनांक 25.2.89 के निर्णय के अनुसरण में लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन को बी०ए०डि० में स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है।

भवदीय,

*R. K. Sharma*  
कुलसचिव  
20/3/90

क्रमांक:प्रशासन:संबन्धन: 90:

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

सचिव, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, ई-2/84 अरेरा कालोनी भोपाल कीओर आपके पत्र क्रमांक अनु०आध०२/संब/१५/१११/०१/७६७० दिनांक २५.८.८९ के संदर्भ में सूवनार्थ प्रेषित.

कुलसचिव